पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 1920/अका./का.प./2016 रायपुर, दिनांक 06/08/2016

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बाईसवां* बैठक शनिवार, दिनांक 30.07.2016 को अपराह् 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
3. डॉ. दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
4. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
6. डॉ. अमरकान्त पाण्डेय	–	सदस्य
7. डॉ.(श्रीमती) किरण गजपाल	–	सदस्य
8. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	–	सदस्य
9. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद	–	सदस्य
10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	–	सदस्य
11. डॉ. आर. पी. दीक्षित	–	सदस्य
12. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	–	सदस्य
13. श्री चन्द्र कुमार चन्द्राकर	–	सदस्य
14. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय, कार्यपरिषद् सदस्य को जुलाई, 2016 को अधिकावार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सदस्य के रूप में अंतिम बैठक है कार्यपरिषद् की ओर से कुलसचिव द्वारा उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कुलपति एवं सभी सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद में उनके द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों पर आवश्यक सुझाव एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात् कार्यपरिषद की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.06.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 06.06.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

D:\back\shital\MEETINGS\karya-prishad\MINUTS\6_Minutes 22nd EC 30-07-2016.doc

03. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की आपातिक बैठक दिनांक 13.07.2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

04. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपात बैठक, दिनांक 13.07.2016 की कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

05. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों का सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है, उनकी शर्त की पूर्ति निर्धारित अवधि में अकादमिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय।**

06. विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु एक प्रतिष्ठीत (Eminent) सदस्य का मनोनयन कार्यपरिषद् के द्वारा किया जाना है विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **विश्वविद्यालय रेगुलेशन 169 की कंडिका 8 के अनुसार Jain Study Chair के लिये Chair Person की नियुक्ति हेतु समिति के लिए एक सदस्य के रूप में डॉ. उदय जैन, पूर्व कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवां (म.प्र.) के नाम का अनुमोदन किया गया।**

07. डॉ. अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत Raman Post Doctral Fellowship की राशि रु.19,17,683.00 (उन्नीस लाख सत्रह हजार छःसौ तिरासी रुपये) के भुगतान करने की सूचना ग्रहण के साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **डॉ. अम्बर व्यास, सहायक प्राध्यापक विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृत Raman Post Doctral Fellowship की राशि रु.19,17,683.00 (उन्नीस लाख सत्रह हजार छःसौ तिरासी रुपये) के भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

08. जैविकी अध्ययनशाला के 3 शोध छात्रों को UGC-BSC-JRF Science for Meritorious Students को दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक फेलोशीप राशि रु. 5,77,403.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीन रुपये) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **जैविकी अध्ययनशाला के 3 शोध छात्रों को UGC-BSC-JRF Science for Meritorious Students को दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2015 तक फेलोशिप राशि रु. 5,77,403.00 (पाँच लाख सतहत्तर हजार चार सौ तीन रुपये) भुगतान करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

09. दिनांक 18.02.2016 से 11.07.2016 तक कुल 58 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी उपाधि, सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **दिनांक 18.02.2016 से 11.07.2016 तक विभिन्न संकायों के अंतर्गत कुल 58 शोधार्थियों को प्रदान किए गए डॉक्टर ऑफ फिलासफी (पीएच.डी.) उपाधि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

10. विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से 119 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छ.ग. राज्य शासन के अनुरुप प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय के 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से 119 प्रतिशत के स्थान पर पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत महंगाई राहत की दर, छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का वित्त निर्देश 19/2016 एवं पत्र क्रमांक 230/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/चार दिनांक 21 जून, 2016 के अनुरूप प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।**

अवधि जब से देय है	महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत
दिनांक 01.01.2016 (माह जनवरी, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो माह फरवरी 2016 में देय है)	पेंशन/परिवार पेंशन का 125 प्रतिशत

11. विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रखरखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server (400 users) के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कैम्पस एरिया नेटवर्क के Servers के वार्षिक रख रखाव (AMC) एवं Anti-Virus Server (400 users) के लिए विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार मेसर्स, की–कम्प्युटर, शंकरनगर, रायपुर को उनके द्वारा उल्लेखित न्यूनतम दर के आधार पर रुपए 8,13,300.00 (रुपए आठ लाख तेरह हजार तीन सौ मात्र) की स्वीकृति प्रदान की।**

12. वित्तीय सत्र 2016–17 के अनुमानित बजट के परीक्षा मद में Central Valuation हेतु बजट राशि रु. 150.00 लाख में राशि कम शेष होने के कारण परीक्षा मद के ही Renovation & Construction of Guest house/New Guest house/International Convention Centre में रखी गई 100.00 लाख में से राशि रु. 70.00 लाख स्थानांतरित किये जाने की, स्वीकृति के साथ सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **वित्तीय सत्र 2016–17 के अनुमानित बजट के परीक्षा मद में पद क्रमांक 11 में Renovation & Construction में प्रावधानित राशि रुपए 100.00 लाख में से राशि रु. 70.00 लाख Central Valuation मद में स्थानांतरित करने की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

13. छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के दर में एकाएक वृद्धि के संबंध में जानकारी एवं शेष बचत राशि रु. 47,60,334.00 भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण के लिए प्रस्तुत देयक का पूर्व में किये गये भुगतान के बाद शेष राशि रु. 47,60,334.00 के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

14. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण के संबंध में लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जानकारी, पर विचार करना।

टीप : **श्री जानकी प्रसाद शर्मा (बर्खास्त कर्मचारी) के प्रकरण पर निम्नलिखित जानकारी के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायः**

(1) **सत्रवार प्रस्तुत जानकारी में बचे आवेदन पत्रों को उसमें Carried forward/Brought forward का उल्लेख करते हुए शामिल किया जाय।**

(2) **वर्ष 2011–12 में जो जानकारी दी गई है, उसका पुनः परीक्षण आवश्यक है।**

(3) **इस अवधि में स्टॉक वेरीफिकेशन की जानकारी भी दिया जाय।**

(4) **प्रकरण पर स्थानीय निधि संपरीक्षा (लोकल फंड ऑडिट) द्वारा उल्लेखित आपत्ति के संबंध में उनके ऑडिटर को बुलाकर चर्चा की जाय एवं कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में आमंत्रित किया जावे। इसके पूर्व अंकेक्षण आपत्ति एवं इससे संबंधित समस्त जानकारी का परीक्षण कार्यपरिषद सदस्य श्री नरेश चन्द्र गुप्ता से करा लिया जाए।**

15. समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाटा, जिला–बेमेतरा में प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करना।

निर्णय : **समाधान कालेज, सर्वतोमुखी समाधान शिक्षण संस्कार समिति, ग्राम–फरी, पो.–बीजभाठा, जिला–बेमेतरा में प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसा अनुसार डॉ. पन्ना लाल यादव के नाम का अनुमोदन किया गया।**

पूरक विषय सूची –

01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन महाविद्यालयों का सशर्त सम्बद्धता प्रदान की गई है, उनकी शर्त की पूर्ति निर्धारित अवधि में अकादमिक विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाय।**